पत्नी की छाती पर बैठकर गला दबाया, पीट-पीटकर मार डाला

पुलिस ने हत्या के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया आरोपी पति को

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

वह पत्नी की छाती पर बैठकर गला दबा रहा था उसी दौरान पत्नी के पिता ने उसे बचाया। इसके बाद पति गुस्से में आया,ससुर का धक्का देकर हटाया और डंडों से पीट-पीटकर पत्नी को मार डाला। चंदननगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के कारणों में मामूली विवाद की बात सामने आई है। आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।

चंदन नगर में रहने वाली अमरीन का पति साबिर से विवाद हो रहा था। दोनों के बीच होने वाले शोर को सुनकर पास में ही रहने वाले अमरीन के पिता रशीद वहां पहुंचे तो देखा कि साबिर अमरीन की छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। उन्होंने साबिर को वहां से हटाया तो साबिर ने ससुर को धक्का देकर दूर किया और उसके बाद डंडों से अमरीन को पीटने लगा। वह तब तक पीटता रहा जब तक अमरीन बेहोश नहीं हो गई। बेहोश होने के बाद साबिर उसे वहीं लावारिस छोड़कर चला गया। पास में रहने वाले मायके पक्ष के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे वहां से एमवाय रैफर किया जहां अमरीन की मौत हो गई। सूचना मिलते ही चंदननगर पुलिस एक्टिव हुई। तत्काल साबिर की तलाश शुरु की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया है। चंदननगर पुलिस उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

मामूली बात पर हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक साबिर नल फिटिंग का काम करता है और उसका साला भी प्लंबर है। साबिर का साला एक पार्टी से एडवांस पेमेंट ले आया था और उनका काम नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर साबिर का पड़ोस में रहने वाले साले से विवाद हुआ था। साबिर ने साले को खरीखोटी भी सुनाई थी। अमरीन ने इस बात पर विरोध दर्ज करवाया था। इस मामूली बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और आरोपी ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

फालोअप

वसूली के लिए गैंगरेप का षड्यंत्र रचने वाले दोनों आरोपी बंदी

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

एक दर्जन केस दर्ज वाले गुंडे ने गरीबी से जूझ रही किशोरी को अपनी बातों के जाल में फंसाया और उसे निर्दोष लोगों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार किया। आरोपी ने किशोरी से कहा था कि यदि वह बताए नाम वालों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करवा देगी तो उनसे एक करोड़ तक की वसूली कर सकते हैं,इसमें से आधा पैसा तुम रख लेना।

गैंगरेप की पुष्टि हो इसके लिए गुंडे और उसके साथी ने किशोरी के साथ रेप भी किया। ये दोनों निर्दोष बिल्डर और व्यापारी को अपने जाल में फंसाकर वसूली करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देकर इनवेस्टीगेशन किया और जो गैंग रेप में निर्दोष को फंसाने वाले थे अब वे ही गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सितंबर को निपानिया में सड़क किनारे घायल हालत में मिली किशोरी ने पुलिस को बताया कि तीन लोग उसका अपहरण कर कार में ले गए और उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप किया। गंभीर मामला होने के कारण तत्काल किशोरी का मेडिकल करवाया और लसूड़िया पुलिस टीम ने स्पाट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिन लोगों के नाम किशोरी ने बताए थे उन्हें भी पकड़ लिया गया। तीनों ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। किशोरी के मेडिकल में भी कुछ बातें संदिग्ध नजर आई उसके बाद किशोरी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे परिचित हेमंत ने पैसे का लालच देकर झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उकसाया था।

दो लाख रु. की ब्राउन शुगर के साथ दो बंदी

मोबाइल से मिलेंगे कई तस्करों के सुराग

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

आपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की है। आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं,इनके आधार पर कई तस्करों का सुराग मिलने की उम्मीद है। आरोपियों का आपराधिक रेकार्ड भी मिला है। आरोपी भरत चौरसिया के विरुद्ध पूर्व में थाना हीरानगर पर अवैध शराब, जुआ, मारपीट शासकीय कार्य में बाधा जैसे 5 गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं। आरोपी समीर लोधी के विरुद्ध जुआ एक्ट का एक केस दर्ज मिला है।

ड्रग्स कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष इनफारमर्स को सक्रिय किया है। इसी तरह के एक मुखबिर ने क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी कि कनकेश्वरी मैदान के पास दो संदिग्ध बाइक लेकर खड़े हैं,इनके पास ब्राउन शुगर भी है। टीम ने हीरानगर पुलिस के साथ मिलकर स्पाट पर छापा मारा और भरत चौरसिया,गौरी नगर एवं समीर लोधी,मारुति नगर सुखलिया को पकड़ा। इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई जिसकी कीमत दो लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ हीरानगर थाने मे एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल और एक बाइक भी जब्त की गई है। मोबाइल की काल डिटेल से कई ड्रग्स तस्करों के नाम सामने आने की संभावना है।

अमावस्या पर निकलेगी दादी की प्रभातफेरी

इंदौर। श्री अग्रोहा कपल ग्रुप की मेजबानी में भादवी अमावस्या को स्नेह नगर स्थित वृंदावन गार्डन से अग्रवाल नगर स्थित राणी सती दादी के मंदिर तक प्रभातफेरी निकाली जाएगी। इसमें 14 महिला संगठन भाग लेंगे। अग्रसेन भवन पर महिलाओं ने आराध्य दादी का उत्सव धूमधाम से मनाने, प्रभातफेरी का न्यौता सभी क्षेत्रों में घर-घर देने और दादी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे जोश और उत्साह से शामिल होने का निर्णय लिया।

पांच ड्रग्स पैडलर पर रासुका

नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आपरेशन प्रहार के तहत तस्करों को गिरफ्तार कर रही है दूसरी ओर नशे के कारोबार करने वालेआरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इससे शहर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगेगा। नशे के कारोबार में लिप्त पांच बदमाशों पर पुलिस ने रासुका की कार्रवाई कर उन्हें भोपाल सेंट्रल जेल भेजा है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले नितिन उर्फ अप्पी पंवार, मनोज चोकसे,सचिन तिवारी, महिला आरोपी सपना पति सचिन तिवारी एंव हेमंत उर्फ लक्की बुंदेला के खिलाफ एनडीपीएस निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पांचो आरोपियों को 6 माह की अवधि के लिए रासुका की कार्रवाई कर केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।

एक्सप्रेस न्यूज

ससुर-दामाद ने मिलकर की 28 लाख की धोखाधड़ी

इंदौर। अगरबत्ती कारोबारी ससुर-दामाद के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एक होलसेल कारोबारी ने उन पर 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। चंदननगर थाने में सतीश पांडे निवासी सुदामा नगर की शिकायत पर आरोपी पवन मंत्री और उसके ससुर रामचंद्र कालिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों का सुहाना इंटरप्राइजेस नाम से हरिहर नगर श्रीजी वाटिका के पास कारोबार है। सतीश पांडे ने बताया कि वह पिछले कई सालों से अगरबत्ती बनाने का कच्चा माल आरोपियों को दे रहे हैं। लगभग 2 साल से आरोपी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। 28 लाख 68 हजार रुपए आरोपी पवन मंत्री और उसके ससुर रामचंद्र कालिया से सतीश पांडे को लेना थे। आरोपी पैसे नहीं दे रहे थे। थक हार कर उसने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने व्यापारिक धोखाधड़ी की धाराओं में दोनों आरोपियों के खिलाफप्रकरण दर्ज किया है।

3.66 लाख के 6 लाख दिए फिर भी मांग रहा 10 लाख

इंदौर । एरोड्रम पुलिस ने एक सूदखोर और उसके साथी के खिलाफअड़ीबाजी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। डेढ़ साल में उसने साढ़े तीन लाख रुपए के बदले 6 लाख रुपए वसूल लिए और अब 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। रवि पिता कैलाश सोलंकी निवासी छोटा बांगडदा की शिकायत पर आरोपी सुनील सूर्य निवासी रतलाम और राकेश तंवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। रवि ने पुलिस को बताया कि उसके भाई जैकी सोलंकी ने सुनील से डेढ़ साल पहले 3 लाख 66 हजार रुपए उधार लिए थे। ब्याज सहित सुनील सूर्या 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। जबकि आरोपी को 6 लाख रुपए दे दिए गए हैं। आरोपी सुनील खुद और अपने अपने साथी राकेश तंवर के मार्फत फोन लगाकर फरियादी और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

कार में आग लगाकर भागे बदमाश

इंदौर। द्वारकापुरी इलाके में बदमाशों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। कार घर के बाहर ही खड़ी थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। द्वारकापुरी थाने में सिद्धार्थ चौहान की शिकायत पर आगजनी का मामला दर्ज किया गया है। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि उसकी कार घर के बाहर ही खड़ी थी अज्ञात बदमाश कार में आग लगाकर भाग गया। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कार में काफी नुकसान हो गया था। सिद्धार्थ ने कुछ संदेहियों के नाम पुलिस को बताए जिस से उसका विवाद चल रहा है।

बैंक ने कुर्क किया मकान युवक ने वहीं लगाई फांसी

इंदौर। बैंक से कर्ज लेने के बाद वह बैंक का कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक ने मकान कुर्क कर लिया। बैंक उसे नीलाम करने वाला था। इससे मकान मालिक दुखी था। वह उसी मकान में गया और फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एरोड्रम के रुक्मणी नगर में 30 वर्षीय ऋषभ उर्फ नानू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नानू ने जिस मकान में फांसी लगाई उस पर बैंक का कर्ज था। कर्ज न भरने पर बैंकवालों ने उस मकान को कुर्क कर लिया था। नानू दूसरे मकान में रहने चला गया था। गुरुवार को वह सामान लेने के बहाने कुर्क मकान में आया और वहीं फांसी लगाकर जान दे दी।

नेशनल लोक अदालत आज

प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 64 खंडपीठों का हुआ गठन

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

इंदौर जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते के साथ त्वरित निराकरण के लिये कल 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये 64 खण्डपीठों का गठन किया गया है। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत इंदौर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में होगी।

राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे-जिला न्यायालय इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों, डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं। जिसके अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक 3559, सिविल 763, मोटर दुर्घटना क्लेम 2373, विद्युत 2565, चेक बाउंस 12750, बैंक रिकवरी 466, भू-अर्जन 16, राजस्व 31, वैवाहिक 705, अन्य 1705 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 36443, विद्युत 368, व अन्य 11152 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।

कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में लोक अदालत की तैयारी

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और आज कंपनी के कार्यक्षेत्र में लगने वाली 44 लोक अदालतों में समाधान के लिए 46 हजार से अधिक विवादित प्रकरण रखे जाएंगे। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अमित तोमर ने बताया कि जिले के 62 झोन एवं वितरण केंद्र के आलावा पूरे मालवा निमाड़ के 425 झोन, बिजली वितरण केंद्र और अन्य कार्यालयों में माध्यम से लोक अदालत के प्रकरणों की तैयारी की गई है। दरअसल आज धारा 126 एवं 135 के तहत विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

संपत्ति और जलकर सरचार्ज में 100 फीसदी तक छूट

इंदौर। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में 9 सितंबर शनिवार को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके लिए निगम द्वारा भी अपने मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें नागरिकों को संपत्ति व जलकर अदायगी पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार शनिवार को लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें अधिभार की राशि रु. 50 हजार तक है, अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख तक बकाया है, उन पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

मोबाइल व्यापारी की आत्महत्या में एसटीएफ सिपाही व महिला पर केस

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

होटल में फांसी लगाने वाले मोबाइल व्यापारी की आत्महत्या के करीब ढाई माह बाद पुलिस ने एसटीएफ कांस्टेबल और व्यापारी की मां के खिलाफ केस दर्ज किया है। भंवरकुआ पुलिस को व्यापारी का लिखा पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला था।

उसके आधार पर जांच के बाद भंवरकुआ पुलिस ने केस दर्ज किया है। टीआई राजकुमार यादव के मुताबिक राजीव कुमार पिता सुधीर प्रसाद शर्मा निवासी रॉयल बंगलो की आत्महत्या के मामले में इंदौर एसटीएफ में पदस्थ सिपाही प्रशांत सिंह और नर्मदा बाई निवासी बिजलपुर को आरोपी बनाया गया है। जांच में पाया गया कि नर्मदा बाई चौहान द्वारा फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर राऊ थाने में राजीव शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रशांत परिहार द्वारा राजीव शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड एसयूवी को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा गया। इस कारण से राजीव को जेल भी जाना पड़ा। जमानत बाद जेल से छूटने के बाद भी आरोपी रुपयों को लेकर प्रताड़ित करते रहे। इससे परेशान होकर राजीव शर्मा ने फांसी लगा ली थी। राजीव के सुसाइड नोट में राऊ थाने के जांच अफसर महेश चौहान, खुद के नौकर विकास और शोरूम के मालिक अशोक का भी नाम था। इन लोगों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। यदि और किसी की भूमिका सामने आई तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।

शेखावत का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण : हार्डिया

इंदौर (आरएनएन)। भंवर सिंह शेखावत को इस समय पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किया था। यह बात भाजपा के क्षेत्र क्र. 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने कही। उन्होंने कहा कि शेखावत जी और मैं छात्र राजनीति से साथ में थे। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उनके अध्यक्षकाल में मैं कार्यालय मंत्री रहा, लेकिन इस उम्र में उन्हें पार्टी छोड़कर कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए था। क्षेत्र में उठ रहे उनके खिलाफ विरोध के स्वर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या सभी लोग टिकट की चाहत रखते है। पार्टी यहां काफी मजबूत है और जिसको भी टिकट देगी वह जीतेगा। मैं यहां लगातार चार बार से इसलिए जीत रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां काम किया है और लगातार लोगों के बीच में रहा हूं। मेरा व्यवहार लोगों को पसंद आता है, मैं हर किसी से सहज मिलता हूं, इसलिए मुझे लोग जीताते रहे है।

नाचते-गाते मना राखी महोत्सव

इंदौर (आरएनएन)। विधानसभा क्षेत्र क्र. 3 के विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय ने नखराली ढाणी में अपनी विधानसभा के देवी अहिल्या मंडल के वार्ड 56, 57, 58 की हजारों महिलाओं के साथ राखी महोत्सव मनाया। बहनों में अपने लाड़ले विधायक भाई को राखी बांधने का उत्साह दिखा तो वही विधायक ने भी सहर्ष सभी बहनों से दोनो कलाइयों पर राखी बंधवाई। इस अवसर पर सभी बहनों ने विधायक विजयवर्गीय के साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक गन्नू महाराज के भजनों पर नृत्य किया, कालबेलिया नृत्य, कटपुतली नाट्य का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर विधायक विजयवर्गीय के संग उनकी पत्नी सोनम विजयवर्गीय भी मौजूद थी। इस अवसर पर विधायक विजयवर्गीय ने कहा की हमारी विधानसभा 3 एक परिवार है और यह हमारा सौभाग्य है की इतनी सारी बहनों का आशीर्वाद हमे मिल रहा है। इसी आशीर्वाद के कारण हम इतनी जनसेवा कर पाते है।

नए बंगले में रिटायर्ड अफसर ने लगाई फांसी

दो माह पहले ही शिफ्ट हुए थे परिजन के साथ

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

तेजाजी नगर में रहने वाले एक रिटायर्ड ट्रैज़री अफसर ने फांसी लगाकर जान दे दी। वे करीब दो माह पहले ही यहां बने बंगले में रहने आए थे। शुक्रवार सुबह पत्नी ने उन्हें फंदे पर लटके देखा। वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक अरविन्द पिता महादेव शर्मा,श्रीकृष्ण एवेन्यू लिबोदी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह पत्नी ने पति के शव को फंदे पर लटका देखकर शोर मचाया। दूसरे रूम में सो रही बेटी प्रतिष्ठा को आवाज दी। बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया।

फंदे से उतारकर एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पदस्थ रहे हैं। उनकी तीन बेटियां हैं और तीनों ही आईटी कंपनी में जाब करती हैं।

रिटायर्ड होने से कुछ अरसा पहले ही उन्होंने लिंबोदी में जमीन ली थी,करीब दो माह पहले ही यहां बंगला बनाकर बेटियों के साथ रहने आए थे। सूचना बाद पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली लेकिन फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन भी आत्महत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं।

नशे के लिए हिस्ट्रीशीटर ने चाकू की नोक पर की थी लूट

इंदौर। बाणगंगा पुलिस ने दो हिस्ट्रीशीटर को लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। ये हिस्ट्रीशीटर नशे के आदी हैं और चाकू की नोक पर लूटपाट करते थे। आरोपियों के पास से 8 लूट के मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद किए गए हैं। 7 सितंबर को फरियादी बाइक से सांवेर रोड से गुजर रहा था। नमकीन क्लस्टर के पास बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उसे रोका और चाकू अड़ा मोबाइल व नगदी छीन ली। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात करने वाले बदमाश इलाके में घूमते हुए देखे गए हैं। इस पर टीम ने केतन बुंदेला, सुखलिया और राहुल शर्मा, खातीपुरा को गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक व लूटा गया मोबाइल, नकदी जब्त कर लिया गया है। अन्य वारदातों में भी लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं।

OMKARA
ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

सीआईएन: यू67100टीजेड2014पीटीसी020363 वाणिज्यिक कार्यालय : 47वाँ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400028. ईमेल-rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com
दूरभाष-022-26544000 प्राधिकृत अधिकारी मो. नं.:+91 86579 69233/+91 86579 69231

(परिशिष्ट IV-ए) नियम
[नियम 8 (6) सपठित 9(1) का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की ई-नीलामी विक्रय के लिए सार्वजनिक सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) सपठित 9(1) के परंतुक के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल)के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इसके अलावा ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन पिट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 25/06/2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत अंतर्निहित सुरक्षा होम असाइनर बैंक के साथ नीचे दिए गए खातों के सभी बकाया ऋण प्राप्त कर लिए हैं। तदनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर बैंक का अधिकार प्राप्त किया है और बकाया वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार दिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी ने असाइनर से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी एतद्वारा बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियां बेचने के इच्छुक हैं और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं / बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं के विवरण के नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (ओं) से सुरक्षित लेनदार के रूप में ओएआरपीएल के संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है"**, **"जैसा है, वैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** और **"बिना वापसी आधार है"** आधार पर बेचा जाएगा। ऋणकर्ताओं/गारंटर/बंधक, प्रतिभूतियां, मालिक, बकाया देय, तिथि धारा 13(2), कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तिथि और समय के तहत भेजी गई मांग सूचना निम्नानुसार दी गई है।

स. क्रं.	ऋणकर्ता(गण) /अधिग्रहण प्रतिभूतिकर्ता(गण)/ गिरवीकर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति का स्वामी	12.06.2023 को शेष राशि (भारतीय रू. में)	माँग सूचना तिथि	अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य (भारतीय रू. में)	बोली वृद्धि राशि (भारतीय रू. में)	धरोहर राशि (भारतीय रू. में) रु.	निरीक्षण की तिथि व समय
1.	शिवानी फूड प्रोडक्ट्स (उधारकर्ता), घनश्याम जरिया (मालिक, गारंटर और बंधककर्ता) बेबी जरिया (गारंटर)	लॉट नंबर -I: पटवारी हल्का नंबर 21, राजस्व मंडल नंबर 2, सर्वे नंबर 26/4 भाग, रकबा 0.522 हेक्टेयर, ग्राम चोरडिया, तहसील महू, जिला इंदौर (म.प्र.) में परिवर्तित भूमि और उस पर वर्तमान और भविष्य का निर्माण और सीमायें निम्नुसार-पूर्व में-खुली भूमि, पश्चिम में -18 मीटर चौड़ी सड़क उत्तर में -खुली भूमि, दक्षिण में-खुली भूमि	श्री घनश्याम जरिया	रु. 5,85,72,924.46	31.05.2021	25.05.2023 (भौतिक)	रु. 3,87,65,000/-	रु. 50,000/-	रु. 38,76,500/-	14.09.2023 (प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
		लॉट नंबर- II: पटवारी हल्का नंबर 23, राजस्व में परिवर्तित भूमि सर्कल नंबर 2, सर्वे नंबर 413/1 भाग, रकबा 0.137 हेक्टेयर, गांव नेवगुराडिया, तहसील महू, जिला इंदौर (म.प्र.) और उस पर मौजूदा और भविष्य के निर्माण और सीमायें निम्नुसार-पूर्व में-खुली भूमि, पश्चिम में -खुली भूमि उत्तर में -खुली भूमि, दक्षिण में-18 मीटर चौड़ी सड़क					रु. 67,35,000/-	रु. 50,000/-	रु. 67,35,000/-	14.09.2023 (दोपहर 02:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक)

खाता संख्या: 344905001084, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड:ICIC0003449

लॉट नंबर 1 के लिए ई-नीलामी की तारीख और समय: 29/09/2023 12:00 से 02:00 बजे तक | लॉट नंबर II के लिए ई-नीलामी की तारीख और समय: 29/09/2023 अपराह्न 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

लॉट नंबर I और II के लिए भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज़/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय : 27/09/2023 शाम 5:30 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें : बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार (ओएआरपीएल) की वेबसाइट http://omkaraarc.com/ auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com में दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित 9(1) के तहत विक्रय के लिए वैधानिक नोटिस

यह नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) सपठित 9 (1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता (ओं) को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान, उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी / बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित करते हुए, यदि वे चाहें तो संपति को भुनाने के लिये बिक्री के बंद होने से पहले किसी भी समय 13/06/2023 से भावी ब्याज और सभी लागत शुल्क और खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति अधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से विक्रय की जाएगी।

तिथि : 06.09.2023
स्थान: इंदौर

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
(पीएस06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी क्षमतानुसार कार्यरत)